प्रेस नोट दिनांक 21.09.2020
सराहनीय कार्य जनपद बागपत

उ0प्र0 शासन स्तर से चिन्हित दुर्दान्त गैंग सरगना आकाश जाट साथी सहित सात वर्ष के कारावास से दण्डित।

आज दिनांक 21.09.2020 को जनपद बागपत में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चिन्हित टॉप–20 सूची के दुर्दान्त गैंग सरगना आकाश जाट पुत्र सौकेन्द्र नि0 मौहल्ला गुजरातियान नन्दू प्रसाद थाना कोतवाली जनपद शामली एवं अमित उर्फ भूरा पुत्र अजय नि0 ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत को पुलिस मुठभेड़ के मु0अ0सं0 439/2015 धारा 307 भादवि व 440/2015 धारा 07/25/27 आर्म्स एक्ट थाना रमाला जनपद बागपत में जनपद बागपत पुलिस की सम्यक पैरवी एवं अभियोजन शाखा के सहयोग से माननीय न्यायालय एडीजे–04 जनपद बागपत द्वारा आकाश जाट को 7 वर्ष सश्रम एवं अमित भूरा को 4 वर्ष सश्रम कारावास तथा अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 15.11.2015 को थाना रमाला क्षेत्रानतर्गत नहर पुल रमाला पर उक्त दोनों दोषियों द्वारा तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, श्री रवि शंकर छवि व उनकी टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया था। बाद पुलिस मुठभेड़ पुलिस टीम द्वारा उक्त दोनों आरोपियों को एक स्विफ्ट कार, एक 9 एमएम पिस्टल व एक 32 बोर पिस्टल मय कारतूस के गिरफ्तार किया गया। उक्त मुठभेड़ के सम्बन्ध में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक बागपत श्री रवि शंकर छवि द्वारा थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

अभियुक्त आकाश जाट जनपद बागपत के पंजीकृत गैंग डी–46 का सरगना है तथा इसके विरूद्ध लूट, हत्या, रंगदारी आदि के करीब 28 अभियोग दर्ज हैं। दुर्दान्त गैंग सरगना आकाश जाट को उ0प्र0 शासन द्वारा टॉप 20 माफियाओं की सूची में चिन्हित किया गया है। उक्त दुर्दान्त गैंग सरगना के विरूद्ध जनपद बागपत पुलिस की सम्यक पैरवी एवं डीजीसी श्री सुनील पंवार, एडीजीसी श्री अनुज ढाका के सहयोग उपरान्त आकाश जाट को 7 वर्ष सश्रम एवं अमित भूरा को 4 वर्ष सश्रम कारावास तथा अर्थदण्ड की सजा दिलाने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।

- **थाना दोघट पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास में एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक लाईसेन्सी डबीबीएल बन्दूक मय खोखा व जिंदा कारतूस बरामद।**

थाना दोघट– पुलिस द्वारा दिनांक 20.09.2020 को ग्राम दाहा से अभियुक्त देवेन्द्र पुत्र पीतम निवासी ग्राम दाहा थाना दोघट जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से **घटना में प्रयुक्त एक लाईसेन्सी डबीबीएल बन्दूक मय खोखा व जिंदा कारतूस** किया गया है। अभियुक्त द्वारा दिनांक 20.09.2020 को समय करीब 10:30 बजे ग्राम दाहा में पप्पन राणा पुत्र रधुवीर निवासी ग्राम दाहा थाना दोघट जनपद बागपत के साथ गाली–गलौच कर उसके ऊपर जान से मारने की नियत से अपनी लाईसेन्सी डीबीबीएल बन्दूक से फायर किया गया। जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरूद्व थाना दोघट पर मु0अ0सं0 221/2020 धारा 307, 504 भादवि पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त के विरूद्व थाना दोघट पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा जुआ अधिनियम में 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से सटटा पर्चा व 1150 रूपये नकद बरामद।**

थाना सिंघावली अहीर– पुलिस द्वारा दिनांक 20.09.2020 को प्राईमरी स्कूल के पास ग्राम डौला से अभियुक्त 1–नईम पुत्र अब्बास 2–आजाद पुत्र आस मौहम्मद निवासी गण ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से **सटटा पर्चा व 1150 रूपये नकद** बरामद किये गये है। अभियुक्तों के विरूद्व थाना सिंघावली अहीर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **थाना बडौत पुलिस द्वारा षस्त्र अधिनियम में एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक छूरा नाजायज बरामद।**

थाना बडौत– पुलिस द्वारा दिनांक 20.09.2020 को ग्राम औसिक्का नहर पटरी से अभियुक्त इरसाद पुत्र यामिन निरवासी ग्राम इदरीषपुर थाना बडौत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से एक छूरा नाजायज बरामद किया गया है। अभियुक्त के विरूद्व थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **थाना खेकडा पुलिस द्वारा 02 वांरटी अभियुक्त गिरफ्तार।**

थाना खेकडा– पुलिस द्वारा आज दिनांक 21.09.2020 को वारंटी अभियुक्त 1–नीरज पुत्र जयकुमार निवासी ग्राम बसी थाना खेकडा 2–राजीव पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम बसी थाना खेकडा जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के विरूद्व थाना खेकडा पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।